

मुख्य अख्यत (परिचमी), ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-1064/या0अ0से0/टेके0पंजी0/कास0-1-पत्र0-83/2018-19, दि0-17.01.19

पंजीकरण संख्या-378 / श्रेणी- बी-मार्ग/2018

:-पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अख्यत, ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, परिमण्डल अलीगड के पत्र संख्या- 241/दिनांक- 16-01-2019 से प्राप्त मैसर्स मों कन्स्ट्रक्शन (प्रो0 श्री शिववीर सिंह)शिव मवन, रेलवे टिकटघर के पास, जनपद-कासगंज के बी श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण के सत्यापन/संस्तुति के आघार पर मैसर्स मों कन्स्ट्रक्शन (प्रो0 श्री शिववीर सिंह)शिव मवन, रेलवे टिकटघर के पास, जनपद-कासगंज को ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'बी' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021 तक की अवधि के लिये एतदद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, परिचमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगड, धिन्नकूटधाम बोंदा एवं झाँसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अख्यत, ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कासगंज के कार्यालय में देघता लिधि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(रवीन्द सिंह मंगेशकर)
मुख्य अख्यतंत्रण (प0क्षेत्र)
(परिचमी क्षेत्र)
मुख्य अख्यतंत्रण (प0क्षेत्र)
मुख्य अख्यतंत्रण (प0क्षेत्र)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- अधिशासी अख्यतंत्रण, ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कासगंज।
- 2- अधीक्षण अख्यतंत्रण, ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगड।
- 3- समस्त अधीक्षण अख्यतंत्रण, ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग (परिचमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अख्यतंत्रण (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अख्यतंत्रण (नियोजन) ग्रामीण अख्यतंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मैसर्स मों कन्स्ट्रक्शन (प्रो0 श्री शिववीर सिंह)शिव मवन, रेलवे टिकटघर के पास, जनपद-कासगंज (मो0नं0-8273025029, ई मेल- shivveerksj72@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इंगित पत्र/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।



मुख्य अख्यतंत्रण (परिचमी क्षेत्र)

मुख्य अख्यतंत्रण (प0क्षेत्र)
17/1/19